



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा.सं. NCST/ATY-1269/RJ/6/2023-APCR

दिनांक : 13.06.2023


1. श्री ओम प्रकाश बुनकर  
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  
जिला - कोटा  
सिविल लाइंस, नयापुरा,  
कोटा, राजस्थान 324001  
Email: dm-kot-rj@nic.in
2. श्री शरद चौधरी  
पुलिस अधीक्षक  
जिला - कोटा  
राजस्थान 324001  
Email: sp-kot-rj@nic.in
3. श्री अनुराग भार्गव  
आयुक्त  
कोटा नगर निगम  
शक्ति नगर, दादाबारी,  
कोटा, राजस्थान - 324009

**विषय:** झाबुआ लाइव न्यूज़ में दिनांक 07.06.2023 में प्रकाशित शीर्षक "लापरवाही ने ली पेटलावद तहसील के 3 श्रमिकों की जान; राजस्थान के कोटा में हुआ बड़ा हादसा" के संदर्भ में।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को एक प्रेस क्लिपिंग प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मामले की जांच/जांच करने का निर्णय लिया है। अतः एतद्वारा आपसे अनुरोध किया जाता है कि आप इस सूचना के प्राप्त होने के 03 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या अन्य माध्यम से आरोपों / मामलों पर की गई कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट, तथ्य और जानकारी प्रस्तुत करें।

2. रिपोर्ट में आरोपी की गिरफ्तारी के खिलाफ की गई कार्रवाई, आईपीसी और एससी /एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल करना, पीड़ित परिवार को मौद्रिक राहत और पुनर्वास पैकेज आदि के संबद्ध में सूचना होनी चाहिए।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे जवाब प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के तहत प्रदत्त सिविल कोर्ट की शक्ति का प्रयोग कर सकता है तथा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है।

  
(अंकित कुमार सेन / Ankit Kumar Sen)  
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer  
Email ID : researchofficer-apcr@ncst.nic.in